न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर (ग्रामीण)
पीठासीन अधिकारी श्रीमती सीमा कविया, आर.ए.एस.

एफ एस प्रकरण संख्या :– 09/2024
जीसीएमएस नम्बर :–2024/34

प्रार्थी

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थी

सुनिल पुत्र श्री भंवरलाल जी डारा, जाति विश्नोई, उम्र 23 वर्ष, एफबीओ/मालिक फर्म मैसर्स होटल सूरज गार्डन एण्ड रेस्टोरेन्ट एनएच–62 टोल प्लाजा के पास गांव नेतड़ा तहसील बावड़ी, जिला जोधपुर। निवासी –प्लॉट नं. 25 बालाजी नगर द्वितीय माता का थान रोड़ मगरा पूंजला जोधपुर।

–:आदेश :– दिनांक :– 28.08.2024

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 12.12.2023 को रेवत सिंह बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी गश्त चैंकिग फर्म मैसर्स होटल सूरज गार्डन एण्ड रेस्टोरेन्ट एनएच–62 टोल प्लाजा के पास गांव नेतड़ा तहसील बावड़ी, जिला जोधपुर पहुंचा व अपना परिचय दिया, परिचय पत्र दिखाया। इस समय दूकान पर विक्रेता की हैसियत सुनिल पुत्र श्री भंवरलाल जी डारा, जाति विश्नोई, उम्र 23 वर्ष, एफबीओ/मालिक फर्म मैसर्स होटल सूरज गार्डन एण्ड रेस्टोरेन्ट एनएच–62 टोल प्लाजा के पास गांव नेतड़ा तहसील बावड़ी, जिला जोधपुर निवासी –प्लॉट नं. 25 बालाजी नगर द्वितीय माता का थान रोड़ मगरा पूंजला जोधपुर उपस्थित मिले जो की रेस्टोरेन्ट में पड़े फ्रीज में एक स्टील के भगोने में लगभग 10 किग्रा दही पड़ा था। उक्त दही से बून्दी वेज, फ्राई सब्जियों बना कर बने हुए खाद्य उत्पाद रेस्टोरेन्ट में आने वाले ग्राहकों को कीमतन विक्रय की जाते एवं दही का भी विक्रय किया जाता है, उक्त दही में मिलावट का अंदेशा होने पर नमूना जांचार्थ 800 ग्राम दही कीमतन खरीदा एवं 200 ग्राम प्रति नमूना के हिसाब से प्लास्टिक की जार साफ सूखी बोतलो में डाल कर प्रति नमूना 16 बूंद फार्मेलिन डालकर हिला मिला कर एक रूप कर नियमानुसार नमूनीकरण किया गया रूबरू गवाहन श्री धन्नराम पुत्र बुधाराम जी ग्वाला, जाति ग्वाला, उम्र 38 वर्ष निवासी गांव सांवत कुआ तहसील बावड़ी जिला जोधपुर उपस्थिति में खाद्य पदार्थ दही 800 ग्राम का नमूना खरीद कर विक्रेता को कहा गया एवं इसकी सूचना जरिये फार्म 5ए प्रपत्र भरकर श्री सुनिल को दिया गया एवं प्रपत्र 5 ए की रसीद प्राप्त की। प्रपत्र 5 ए देने से पहले विक्रेता एवं गवाह को यह बता दिया कि यह दही का नमूना वास्ते जांच हेतू एफ एस एस एक्ट खरीद कर रहा हूँ। प्रपत्र 5 ए पर मेरे विक्रेता एवं गवाहन के हस्ताक्षर उक्त फार्म 5 ए मूल संलग्न हैं।

विक्रेता से वर्ष 2023 का खाद्य अनुज्ञा–पत्र मांगा जो प्रस्तुत किया संलग्न परिवाद हैं। रूबरू गवाह के सामने विक्रेता को रूपये 100/– नगद देकर 800 ग्राम वास्ते नमूनीकरण हेतु खरीदा तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की। जिस [illegible]मर, [illegible]लिक व गवाह के हस्ताक्षर हैं, जिसकी असल प्रति सलंग्न है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Kavia
Date: 2024.09.03 17:38:13 IST
Reason: SelfAttested

विक्रेता व गवाह के सामने उक्त खरीदसुदा दही 800 ग्राम को 200 ग्राम प्रति नमूना के हिसाब से प्लास्टिक की जार साफ सुखी बोतलों में डाला। सीरियल नम्बर एम–3972 व अन्य विवरण अंकित कर विक्रेता चारों नमूना पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। इन चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप एम–3972 हस्ताक्षर युक्त अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थय अधिकारी, जोधपुर के नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचें पेदें तक गोंद से चिपकाई चारों नमूनों को अलग–अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमुना पर नियमानुसार चार–चार सील चपडी की लगाई एक नमूनें के सिर पर एक पेदें पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रॉस करवाते हुये हस्ताक्षर करवाये, गवाह के हस्ताक्षर करवायें तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे मे किया। मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में मैने, गवाह व मालिक ने हस्ताक्षर किये। जिस सील से नमूना एम–3972 सील चपडी किया उसका मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही मैने स्वयं गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही की, असल मौका फर्द सलंग्न है।

कार्यालय पंहुच कर फार्म नम्बर 6 की 6 प्रतिया तैयार की गयी जिन पर खाद्य विश्लेषक, का पता अंकित किया गया एंव जिस सील से नमूना सिल्ड किया गया उसका सील इम्प्रेशन अंकित किया गया। फार्म नम्बर 6 की एक–एक प्रति प्रत्येक नमूना भाग के साथ रखकर नमूनो को पुनः आउटर कवर मे लपेट कर मोटे धागे से बांधकर नियमानुसार सिल चपडी से सिल्ड किया गया। फार्म नम्बर 6 की दो प्रतिया अलग से एक लिफाफे मे रखकर सिल चपडी से सिल्ड किया एंव उस पर खाद्य विश्लेषक, जोधपुर का पता अंकित किया गया उक्त एक सिल्ड नमूना एंव सिल्ड लिफाफा स्वयं के द्वारा दिनांक 13.12.2023 को खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एंव मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदे प्राप्त की जो अलग–अलग असल सलंग्न है।

एम–3972 नमूने के द्वितीय, तृतीय भाग अभिहित अधिकारी जोधपुर को दिनांक 12.12.2023 एंव चतुर्थ भाग दिनांक 12.12.2023 को जमा कराये गये जिनकी प्राप्ती रसीद मूल सलंग्न हैं।

अभिहित अधिकारी जोधपुर के पत्र क्रमांक 31–32 दिनांक 05.01.2024 के साथ संलग्न जांच मूल रिपोर्ट एल.एस.3130/एक्ट/2023/3171 दिनांक 26.12.2023 मुझे प्राप्त हुई, के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ दही मिक्सड दूध से निर्मित का नमूना Milk fat के निर्धारित मानक न्यूनतम 4.5% के स्थान पर 2.09% होने के कारण अमानक स्तर (SubStandard) होना पाया गया, उक्त फर्म के एफबीओ, मालिक एवं विक्रेता श्री सुनिल को सुचनार्थ एवं उनकी नियमानुसार फार्म 08 में अपील प्रस्तुत करने हेतु रजि0 डाक से प्रेषित किया गया। पुनः जांच हेतु अपील प्रस्तुत नही की गई। अप्रार्थी ने एफ.एस.एस. एक्ट की धारा 26 की उपधारा (2) (ii) का उल्लंघन किया जो धारा 51 के अन्तर्गत जुर्माने योग्य अपराध है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Kavia
Date: 2024.09.03 17:38:13 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी [illegible] से नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी को नोटिस विधिवत् तामिल हुआ। अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री रतनाराम खिलेरी ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी अधिवक्ता को जवाब व बहस हेतु अवसर प्रदान करने के उपरान्त भी वह

न्यायालय में उपस्थित हुए। अप्रार्थी का जवाब व बहस का अवसर बन्द किया जाकर पत्रावली आदेश हेतु दिनांक 28.08.2024 को रखी गई।

हमने प्रकरण में प्रार्थी विभागीय खाद्य सुरक्षा अधिकारी मुख्या चिकित्सा एवं स्वास्थय अधिकारी जोधपुर द्वारा प्रस्तुत परिवाद का अध्ययन किया। इस प्रकरण में यह तथ्यात्मक स्थिति है कि अप्रार्थी की फर्म मैसर्स होटल सूरज गार्डन एण्ड रेस्टोरेन्ट एनएच–62 टोल प्लाजा के पास गांव नेतड़ा तहसील बावड़ी, जिला जोधपुर से खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा जांच हेतु दही का सैम्पल लिया गया। उक्त सैम्पल की जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त खाद्य दही का नमूना निर्धारित मानक कोटि का नहीं होने के कारण अमानक स्तर (Sub Standard) होना पाया गया। जो एफ.एस.एस. एक्ट की धारा 26 की उपधारा (2) (ii) का उल्लंघन किया जो धारा 51 के अन्तर्गत जुर्माने योग्य अपराध है। अधिनियम की मंशा अनुरूप लोक स्वास्थय की सुरक्षा को सुनिश्चित करना इस न्यायालय का उद्देश्य है। अप्रार्थी सुनिल पुत्र भंवरलाल डारा पर शास्ती रूपये 10,000 / – अक्षरे रूपये दस हजार रूपये की आरोपित की जाती है। अप्रार्थी उपरोक्त शास्ती राशि निर्णय के एक माह के अंदर–अंदर निर्धारित मद में जमा करवाकर रसीद प्रस्तुत करें।

आदेश आज दिनांक 31.05.2024 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(सीमा कविया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एंव
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर (ग्रामीण)

क्रमांकः कोर्ट / एडीएम / जोधपुर(ग्रामीण) / 2024 / दिनांक :–

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राज0, जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर।
3. सुनिल पुत्र श्री भंवरलाल जी डारा, जाति विश्नोई, उम्र 23 वर्ष, एफबीओ / मालिक फर्म मैसर्स होटल सूरज गार्डन एण्ड रेस्टोरेन्ट एनएच–62 टोल प्लाजा के पास गांव नेतड़ा तहसील बावड़ी, जिला जोधपुर। निवासी –प्लॉट नं. 25 बालाजी नगर द्वितीय माता का थान रोड़ मगरा पूंजला जोधपुर।

(सीमा कविया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एंव
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर (ग्रामीण)

Signature Not Verified

Digitally signed by Seema Kavia
Date: 2024.09.03 17:38:13 IST
Reason: SelfAttested